शीर्ष प्राथमिकता / महत्वपूर्ण / समयबद्ध

परिपत्र संख्या– 08 / सामा–1 / 2019

प्रेषक,

पुलिस महानिदेशक / महानिरीक्षक,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 11 जून, 2020

विषयः– **कारागारों में निरूद्ध बंदियों के मुलाकातियों द्वारा अनुमन्य सामग्री उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

कारागारों में निरूद्ध बंदियों की मुलाकात कोविड–19 वैश्विक महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु विगत 02 माह से अधिक समय से बन्द चल रही है तथा कारागारों द्वारा बंदियों की उनके परिजनों से पी0सी0ओ0, टेलीफोन आदि के माध्यम से वार्ता कराई जा रही है जिसके फलस्वरूप प्रायः कारागारों में संक्रमण का प्रवेश नहीं हो सका है। वर्तमान में संक्रमण के विस्तार के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि बंदियों की उनके परिजनों से पी0सी0ओ0, टेलीफोन आदि के माध्यम से वार्ता यथावत कराई जाए तथा यदि बन्दी के परिजनों / मित्रों द्वारा बंदियों को दिये जाने हेतु कोई अनुमन्य सामग्री कारागार पर उपलब्ध कराई जाती है तो उसे प्राप्त कर निम्नलिखित प्रकिया के अनुसार बंदियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए :–

1– बंदियों के परिजनों / मित्रों द्वारा सामग्री उपलब्ध कराये जाने से पूर्व उनके फोटो पहचान पत्र की प्रति प्राप्त करते हुए उनकी पहचान सुनिश्चित कर ली जाए।

2– प्राप्त सामग्री की सघनता से तलाशी कराकर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई निषिद्ध वस्तु नहीं है।

3– प्राप्त सामग्री के थैले / कैरी बैग पर बंदी व बंदी के पिता के नाम की पर्ची लगा दी जाए जिससे सामग्री उसी बंदी को प्राप्त कराई जा सके, जिसके लिए वह लाई गई है।

4– प्राप्त सामग्री की तलाशी मुख्य द्वार पर लगे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ही कराई जाए।

5– प्राप्त सामग्री को तत्काल बन्दी को उपलब्ध न कराकर उसे विसंक्रमित कराते हुए लगभग 24 घन्टे के उपरान्त उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसी भी प्रकार का संक्रमण कारागार में पहुँचने की सम्भावना न रहे । इस अवधि में प्राप्त सामग्री की सुरक्षित अभिरक्षा हेतु प्रभारी मुलाकात को उत्तरदायी बनाया जाए।

6– तलाशी लेने वाले कार्मिकों एवं नम्बरदारों को संक्रमण से बचाव हेतु सुरक्षा के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराये जाएं।

समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक/प्रभारी अधीक्षक उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

10/6/20

(आनन्द कुमार)
पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।